

स्वयं द्वारा उसके/उसकी पत्नी/पति/बच्चे/पिता/माता या हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब में सह-भागीदार द्वारा किराये पर दिये हुए मकान में रहने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता प्राप्त करने हेतु

## आवेदन – पत्र

1. नाम .....
2. पद एवं विभाग जिसमें कार्यरत है .....
3. मकान का पूर्ण पता.....  
मकान मालिक का नाम .....
4. नियमों के अन्तर्गत देय मकान के किराये भत्ते की रकम

मकान का अनुमानि किराया (यथा नगर पालिका आदि कार्य हेतु जिस भाग में कर्मचारी रहता/रहती हैं)।

### प्रमाणित किया जाता है कि :-

- 1- मैं मेरे पति/मेरी पत्नी/बेटे/बेटी/पिता/माता एक अविभाजित हिन्दू परिवार के मकान में जिसमें मैं एक सह भागीदारी हूँ।
- 2- कि जिस निवास स्थान क किराया भत्ता मांगा गया है उसमें साधारणतः मेरे कुटुम्ब के व्यक्ति के अलावा कोई नहीं रहता है।
- 3- कि मेरी पत्नी/पति को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/एक ओटोनोमत पब्लिक अण्डरटेकिंग या अर्ध राजकीय संस्था जैसे कि नगरपालिका आदि प्राप्त उसी स्थान पर निवास अलॉट नहीं किया गया है।

दिनांक .....  
विभाग .....

हस्ताक्षर कर्मचारी मय पद एवं

### कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में उपयोग हेतु

#### प्रमाणित किया जाता है कि:-

- (1) मैंने मकान किराये भत्ते की माँग की जाँच कर ली है और मुझे संतुष्टि है कि माँग नियमों के अनुकूल है सरकार द्वारा स्वीकृत प्रमाण-पत्र राज्य कर्मचारी से प्राप्त कर लिये गये हैं।
- (2) एतद् द्वारा मकान किराया भत्ता रूपये .....का स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर अधिकारी मय पद एवं विभाग